यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/94/2017 **दिनांक :** 16.10.2017

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

समूह चिकित्सा बीमा योजना पर विचार–विमर्श

उपरोक्त विषय में एआईबीईए केन्द्रीय कार्यालय ने अपना परिपत्र संख्या 28/31/2017/31 दिनांक 14.10.2017 जारी किया है जिसका अनूदित सार हम आपकी सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

समूह चिकित्सा बीमा योजना पर विचार–विमर्श

हम जानते हैं कि पिछली वेतन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान, यूएफबीयू के दृढ़ प्रयासों के कारण, बैंकों द्वारा उठाये गये चिकित्सा व्ययों/अस्पतालीकरण प्रतिपूर्ति पर किये गये पूरे व्ययों की हमारे द्वारा बातचीत के जरिए वेतन लागत के बाहर गणना की गई थी साथ ही नई समूह चिकित्सा बीमा योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, सभी कर्मचारियों तथा अधिकारियों को प्रमुख बीमाकर्ता के रूप में यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कंपनी के साथ समूह चिकित्सा बीमा पॉलिसी द्वारा शामिल किया गया था।

इस पॉलिसी के तहत, कर्मचारी रू0 3 लाख तक तथा अधिकारी रू0 4 लाख तक इन राशियों से अधिक के दावों के मामलों में एक अतिरिक्त बफर कवर के प्रावधान के साथ शामिल थे। इस योजना में कुछ गंभीर बीमारियों में शामिल कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए रू0 एक लाख का भुगतान भी शामिल था। इस योजना के अंतर्गत, पॉलिसी के लिए पूर्ण प्रीमियम बैंकों द्वारा भुगतान होना था।

यूएफबीयू के कई प्रयासों और आईबीए के साथ विचार–विमर्श के बाद, यह सहमति हुई कि इस योजना को सहमत प्रीमियम के भुगतान की स्थिति में सेवानिवृत्त कर्मचारियों तक भी बढ़ाया जायेगा।

इस प्रकार, लगभग 23 लाख कर्मचारियों, अधिकारियों, उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों, सेवानिवृत्तों तथा उनके जीवन–साथियों को योजना के कवरेज के तहत लाया गया था।

योजना 01.10.2015 से कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए तथा 01.11.2015 से सेवानिवृत्तों के लिए प्रभावी हुई। पिछले वर्ष, कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए पॉलिसी का 01.10.2016 से 30.09.2017 तक तथा सेवानिवृत्तों के लिए 01.11.2016 से 31.10.2017 तक नवीनीकरण हुआ।

जारी पृष्ठ 2

फिर से, इस वर्ष, पॉलिसी का कामगार कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए 01.10.2017 से 30.09.2018 तक प्रीमियम में बिना किसी परिवर्तन के नवीनीकरण किया गया है।

सेवानिवृत्तों के लिए भी, यूआईआईसी ने उन्हीं प्रीमियम दरों के साथ पॉलिसी के नवीनीकरण के लिए सहमति दी है उनके लिए जो घरेलू उपचार द्वारा शामिल नहीं हैं लेकिन एक बढ़े हुए प्रीमियम के साथ उन लोगों के लिए जो घरेलू व्यय कवरेज के साथ शामिल हैं।

इसके अलावा, यूआईआईसी ने एक **सुपर टॉप अप पॉलिसी** की भी पेशकश की है जिसके अन्तर्गत कामगार सेवानिवृत्तों के लिए रू0 4 लाख तथा अधिकारी सेवानिवृत्तों के लिए रू0 5 लाख का अतिरिक्त कवर अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर उपलब्ध होगा।

इस दौरान, हमारी यूनियनों, कर्मचारियों, अधिकारियों, तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अस्पतालों, टीपीए, यूआईआईसी तथा बैंक प्रबन्धनों की तरफ से योजना के कार्यान्वयन में विभिन्न कठिनाईओं का सामना करना पड़ा है। दावों की एकतरफा अस्वीकृति, दावों के निपटारे में अनुचित देरी, नकदीरहित लाभ प्राप्त करने में बाधायें, प्रीमियम दरों में वृद्धि के अलावा एकतरफा तर्क आदि की घटनायें हैं।

वर्तमान वेतन पुनरीक्षण वार्ता के दौरान आईबीए के साथ यूएफबीयू से हमारे द्वारा मामले को उठाये जाने पर, आईबीए ने यूआईआईसी तथा सभी सात टीपीए जो हमारी पॉलिसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं की उपस्थिति में इन मुद्दों पर विचार करने के लिए एक विशेष बैठक आयोजित करने की सहमति दी।

आईबीए के साथ विचार–विमर्श : तद्नुसार, 06.10.2017 को आईबीए द्वारा एक विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें आईबीए तथा यूएफबीयू के प्रतिनिधियों के अलावा, यूआईआईसी, केएम दस्तूर तथा टीपीए के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

विचार–विमर्श के दौरान, हम कर्मचारियों/अधिकारियों/सेवानिवृत्तों द्वारा सामना की जा रही विभिन्न समस्याओं को आईबीए, यूआईआईसी तथा टीपीए के संज्ञान में लाये। हमारे द्वारा उठाए गये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे निम्न प्रकार थे :

- **मुख्य पॉलिसी की प्रति यूनियनों को उनकी जानकारी तथा किसी प्रतिकूल खंड तथा प्रावधान उठाने के लिए उपलब्ध होनी चाहिए।**
- **योजना तथा पॉलिसी पूरी तरह हमारे समझौते की तर्ज पर होनी चाहिए।**
- **वर्तमान बाधाओं को दूर करने के लिए योजना का शासन प्रबंध तथा कार्यान्वयन कर्मचारियों/अधिकारियों/सेवानिवृत्तों के लिए और अधिक अनूकूल होना चाहिए।**
- **बफर के अन्तर्गत उपयोग तथा लाभ प्राप्त करने के लिए उचित दिशानिर्देश दिये जाने चाहिए।**
- **योजना की प्रमुख विशेषताओं पर कर्मचारियों/अधिकारियों को विवरणिका प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि बहुत लोगों को विवरणों के बारे में जानकारी नहीं है।**
- **गंभीर बीमारियों के लिए अनुग्रह राशि के लाभ पर सभी बैंकों/शाखाओं को विशेष सूचना भेजी जानी चाहिए।**

जारी पृष्ठ 3

- **पॉलिसी द्वारा शामिल सभी कर्मचारियों/अधिकारियों/सेवानिवृत्तों/परिवार के सदस्यों को आईडी कार्ड दिये जाने चाहिए।**
- **परिवार की परिभाषा समझौते के अनुरूप होनी चाहिए।**
- **घरेलू उपचार के तहत कवरेज का उचित स्पष्टीकरण।**
- **सेवानिवृत्तों के लिए प्रीमियम संशोधित और घटाया जाए।**
- **परिवार के पेंशनधारियों, अधीनस्थ/पीटीएस सेवानिवृत्तों तथा 1986 से पूर्व के सेवानिवृत्तों के लिए प्रीमियम घटाया जाए तथा अन्य सेवानिवृत्तों के लिए सामान्य प्रीमियम के मुकाबले कम हो।**
- **कर्मचारियों/अधिकारियों तथा सेवानिवृत्तों के लिए पॉलिसी की एकरूपता/सामान्य तिथि**
- **नकदीरहित गठजोड़ के अन्तर्गत अधिक से अधिक अस्पताल शामिल हों।**
- **सेवानिवृत्तों के लिए सुपर टॉप–अप लाभ का विस्तार।**
- **पॉलिसी के अन्तर्गत दांतों के उपचार को शामिल करना।**
- **टीपीए द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को पर्याप्त रूप से ठीक किया जाना।**
- **निर्धारित समय के अंदर तथा बिना किसी देरी के दावों की प्रतिपूर्ति।**
- **रविवार तथा अवकाशों पर टीपीए प्रतिनिधियों की उपलब्धता।**
- **प्रबंधन को टीपीए/यूआईआई के साथ सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए तथा टीपीए के दरवाजे तक कर्मचारियों/अधिकारियों को धकेलने के बजाए योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।**

हमारे द्वारा उठाए गये सभी बिन्दुओं को आईबीए तथा यूआईआईसी द्वारा नोट किया गया तथा उनके द्वारा यह सहमति दी गई कि ये मुद्दे ईमानदारी से हल किये जायेंगे।

कुल मिलाकर, बैठक इन सभी मुद्दों को उठाने के लिए उपयोगी थी और हमें आशा करते हैं कि योजना के कार्यान्वयन में प्रत्यक्ष सुधार होगा।

अभिवादन सहित,

आपका साथी,
ह0..
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री